



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 01 जनवरी, 2004 ई0

पौष 11, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 477/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 01 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल विनियोग (2003-2004 का अनुपूरक) विधेयक, 2003 पर दिनांक 01 जनवरी, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 18, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तरांचल विनियोग (2003-2004 का अनुपूरक) अधिनियम, 2003

(अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2003)

31 मार्च, 2004 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1. यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग (2003-2004 का अनुपूरक) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 2003 कहलायेगा।

उत्तरांचल की
समेकित निधि में
से वर्ष 2003-
2004 के लिए
रु 333,59,56,000
का दिया जाना

2. ऐसे विविध परियोजना चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी गई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रुपये (तीन सौ तैंतीस करोड़, उनसठ लाख, छप्पन हजार) मात्र होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं :-

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)			
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
1	2	3			
01.	विधान सभा	राजस्व	7100	0	7100
		पूँजी	0	0	0
03.	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	30000	0	30000
		पूँजी	0	0	0
04.	न्याय प्रशासन	राजस्व	119437	69526	188963
		पूँजी	0	0	0
05.	निर्वाचन	राजस्व	5800	0	5800
		पूँजी	0	0	0
06.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	213555	0	213555
		पूँजी	50000	0	50000
07.	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	228319	0	228319
		पूँजी	0	0	0
09.	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	5220	5220
		पूँजी	0	0	0
10.	पुलिस एवं जेल	राजस्व	40803	0	40803
		पूँजी	20550	0	20550
11.	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	542495	0	542495
		पूँजी	94810	0	94810
12.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	16724	0	16724
		पूँजी	1000	0	1000
13.	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	20590	0	20590
		पूँजी	0	0	0
14.	सूचना	राजस्व	3065	0	3065
		पूँजी	0	0	0
15.	कल्याण योजनायें	राजस्व	70961	0	70961
		पूँजी	16130	0	16130

1	2	3		
16.	श्रम और रोजगार	राजस्व	6585	0
		पूँजी	5500	0
17.	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	107073	1225
		पूँजी	872601	0
18.	सहकारिता	राजस्व	2754	0
		पूँजी	0	0
19.	ग्राम्य विकास	राजस्व	32228	0
		पूँजी	50000	0
20.	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	21562	0
		पूँजी	3001	0
22.	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	0	0
		पूँजी	435001	0
23.	उद्योग	राजस्व	1250	0
		पूँजी	129764	0
24.	परिवहन	राजस्व	5131	0
		पूँजी	0	0
25.	खाद्य	राजस्व	2400	0
		पूँजी	0	0
26.	पर्यटन	राजस्व	15000	0
		पूँजी	0	0
27.	वन	राजस्व	18160	0
		पूँजी	0	0
28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	17046	0
		पूँजी	53590	0
	महायोग		3259985	75971
				3335956

आज्ञा से,
बी० लाल,
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Appropriation (Supplementary 2003-2004) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 18 of 2003).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on January 01, 2004 :

No. 477/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003

Dated Dehradun, January 01, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL APPROPRIATION ACT
(SUPPLEMENTARY 2003-2004) ACT, 2003

(Act No. 18 of 2003)

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty-first day of March, 2004

AN
ACT

It Is HEREBY enacted in the Fifty-fourth year of the Republic of India as follows:—

Short Title	1. This Act may be called the Uttaranchal Appropriation (Supplementary 2003-2004) Act, 2003.
Issue of Rs. 333,59,56,000 out of the Consolidated Fund of Uttaranchal for the year 2003-2004	2. From and out of the Consolidated Fund of Uttaranchal there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column-3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of (Rs. Three hundred thirty three crore, Fifty-nine lakh, Fifty-six thousand) only towards defraying the several charges, which will come in course of payment during the year ending on the thirty-first day of March, 2004 in respect of the services and purposes specified in column-2 of the Schedule.
Appropriation	3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of Uttaranchal by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2004.

SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

Grant/ Serial No.	Services and Purpose	Sums not exceeding (In thousands of rupees)		Total
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund of the State	
1	2	3		
01.	Legislature	Revenue 7100	0	7100
		Capital 0	0	0
03.	Council of Ministers	Revenue 30000	0	30000
		Capital 0	0	0
04.	Judicial Administration	Revenue 119437	69526	188963
		Capital 0	0	0
05.	Election	Revenue 5800	0	5800
		Capital 0	0	0
06.	Revenue & General Administration	Revenue 213555	0	213555
		Capital 50000	0	50000
07.	Finance, Tax, Planning, Secretariat & Miscellaneous Services	Revenue 228319	0	228319
		Capital 0	0	0
09.	Public Service Commission	Revenue 0	5220	5220
		Capital 0	0	0
10.	Police & Jail	Revenue 40803	0	40803
		Capital 20550	0	20550
11.	Education, Sports, Youth Welfare & Culture	Revenue 542495	0	542495
		Capital 94810	0	94810
12.	Medical, Health & Family Welfare	Revenue 16724	0	16724
		Capital 1000	0	1000
13.	Water Supply, Housing & Urban Development	Revenue 20590	0	20590
		Capital 0	0	0
14.	Information	Revenue 3065	0	3065
		Capital 0	0	0
15.	Welfare	Revenue 70961	0	70961
		Capital 16130	0	16130

1	2	3			
16.	Labour & Employment	Revenue	6585	0	6585
		Capital	5500	0	5500
17.	Agriculture Works & Research	Revenue	107073	1225	108298
		Capital	872601	0	872601
18.	Co-operative	Revenue	2754	0	2754
		Capital	0	0	0
19.	Rural Development	Revenue	32228	0	32228
		Capital	50000	0	50000
20.	Irrigation & Flood	Revenue	21562	0	21562
		Capital	3001	0	3001
22.	Public Works	Revenue	0	0	0
		Capital	435001	0	435001
23.	Industries	Revenue	1250	0	1250
		Capital	129764	0	129764
24.	Transport	Revenue	5131	0	5131
		Capital	0	0	0
25.	Food	Revenue	2400	0	2400
		Capital	0	0	0
26.	Tourism	Revenue	15000	0	15000
		Capital	0	0	0
27.	Forest	Revenue	18160	0	18160
		Capital	0	0	0
28.	Animal Husbandry	Revenue	17046	0	17046
		Capital	53590	0	53590
Total			3259985	75971	3335956

By Order,
BHAROSI LAL,
Secretary.